

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।
2. परियोजना निदेशक,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर 2012

विषय :- मैनूअल स्कैवेजर्स के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण के संबंध में तथा अस्वच्छ शौचालयों का चिन्हीकरण एवं सूची तैयार कर उपलब्ध कराया जाना।

महोदय/महोदया,

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1080/क०नि०प्र०/26-3-12-7(1) / 07-टी.सी.,
दिनांक 28 अगस्त, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-38भा०स०/क०नि०प्र०/26-3-07-7(1)/2007, दिनांक 19 जून, 2007 द्वारा मैनूअल स्कैवेजर्स के पुर्नवास की स्वरोजगार योजना के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे।

3- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन का उपरोक्त संदर्भित पत्र वर्ष 2011 की जनगणना की हाउस लिस्टिंग विवरण में प्रदेश में पायी गयी इनसेनेटरी लैट्रिन एवं उसमें कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में है।

4- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण का कार्य नगर निकायों तथा जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

5- नगर निकायों द्वारा स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण का कार्य निम्नलिखित समिति की देख-रेख में किया जायेगा :-

- | | |
|--|---------|
| 1. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य- | अध्यक्ष |
| 2. सफाई निरीक्षक, नगर निकाय | सदस्य |
| 3. परियोजना अधिकारी, डूडा अथवा उनके द्वारा नामित स्थानीय सी.डी.एस. अध्यक्ष | सदस्य |

समिति में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था को स्वेच्छिक आधार पर नामित कर सम्मिलित किया जा सकता है परन्तु इस कार्य हेतु कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

6- उपर्युक्त समिति की देख-रेख में नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित समय सीमा तीन माह में सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाये ताकि चिन्हित स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के पुर्नवास हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

7- स्वच्छकारों एवं आश्रितों के सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण उपरान्त स्वच्छकार एवं आश्रितों की विस्तृत सूची समाज कल्याण विभाग तथा उसके अन्तर्गत कार्यरत उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० एवं राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ०प्र० को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपद स्तर पर अपर जिला विकास अधिकारी (स०क०) पदेन जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० को नगरीय निकायों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

8- सर्वेक्षण में पाये गये अस्वच्छ शौचालयों के सम्बन्ध में बी०पी०एल० के परिवारों का पूर्ण विवरण सूडा को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अन्य परिवारों के अस्वच्छ शौचालयों को विनष्ट कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सूचना संलग्न प्रारूप संख्या-। व प्रारूप संख्या-॥ में तैयार कर सॉफ्ट प्रति (सी०डी०) सहित उपलब्ध करायी जायेगी।

9- स्वच्छकारों को चिन्हित कर लाभार्थी परिवार के चयनित सदस्य को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

10- कार्य प्रगति की समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय तथा निदेशक, सूडा द्वारा की जायेगी।


11- सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के मानदेय आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व में अस्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छकारों के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जायेगा।

संलग्नक :

1. प्रारूप संख्या-।
2. प्रारूप संख्या-॥

भवदीय



(शिव शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, सूडा, उ०प्र०।
- 2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से


(शिव शंकर सिंह)
विशेष सचिव। 21/1/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ०प्र०
नगरीय क्षेत्रों के मकानों के शौचालयों हेतु सर्वे प्रपत्र

जनपद का नाम—

निकाय/नगर का नाम—

वार्ड नं०/मोहल्ला

क्र०सं०	मोहल्ले का नाम	मकान नं०	मुखिया/उत्तरदाता का नाम	मकान में शौचालय है अथवा नहीं	यदि है तो, शौचालय का प्रकार				यदि नहीं है तो,	
					कमाऊ	बहाऊ (खुली नाली में)	जल प्रवाहित/सेप्टिक टैंक	अन्य प्रकार स्पष्ट उल्लेख करें	खुले में	सामुदायिक शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सर्वे की तिथि

सर्वे कर्ता के हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

सर्वे कर्ता का नाम एवं पदनाम —

पर्यवेक्षक का नाम एवं पदनाम —

हस्ताक्षर परियोजना अधिकारी, डूडा

हस्ताक्षर परियोजना निदेशक, डूडा

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0
मैनुअल स्केवेन्जर्स के विवरण हेतु प्रारूप

जनपद का नाम-

निकाय/नगर का नाम-

वार्ड नम्बर / मोहल्ला

क्र0सं0	मैनुअल स्केवेन्जर्स (स्वच्छकार) का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पुरुष/ महिला	पूरा पता	कितने समय से मैला ढोने के कार्य में सलिप्त है (वर्ष में)	नगर/निकाय के किस वार्ड /मोहल्ले में मैला ढोने का कार्य कर रहे है	बी0पी0एल0 कार्ड धारक है अथवा नहीं	पक्के मकान की स्थिति हों/नहीं	पुनर्वास हेतु विकल्प	अन्य जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सर्वे की तिथि

सर्वे कर्ता के हस्ताक्षर
सर्वे कर्ता का नाम एवं पदनाम -

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक का नाम एवं पदनाम -

हस्ताक्षर परियोजना अधिकारी,डूडा

हस्ताक्षर परियोजना निदेशक,डूडा